रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1975/भाद्र 14, 1897
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1975/BHADRA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September 1975

S.O. 475 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 (41 of 1975), the Central Government hereby appoints the date specified in column (1) of the Table below as the date on which the provisions of the said Act specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table shall come into force.

TABLE

Date	Provisions of the Act
(1)	(2)
1st October, 1975	Clause (i) of section 3, sections 29 to 37 (both inclusive), 50, 52 to 56 (both inclusive), and 59, clause (iv) of section 61, sections 64, 68, 70 to 74 (both inclusive), 77, 78, 81 and 84 to 87 (both inclusive), section 92, in so far as it relates to the insertion of new section 18B in the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) and sections 94, 97, 98, 100 to 104 (both inclusive), 107 to 110 (both inclusive), 112, 118, 120 to 122 (both inclusive) and 124.

(1)	(2)
1st January, 1976	Sections 45, 47, 57, 66 and 90, clause (v) of section 91 and section 93.
1st April, 1976	Section 2, clause (ii) of section 3, sections 4 and 6 to 13 (both inclusive) section 14, in so far as it relates to the insertion of new section 69C in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), sections 16 to 28 (both inclusive), 38 to 44 (both inclusive), 46, 48, 49, 51, 58 and 60, clauses (i) to (iii) of section 61, sections 62, 63, 65, 67, 69, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 88 and 89, clauses (i) to (iv) of section 91, section 92, in so far as it relates to the insertion of new section 18A in the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) and sections 95, 96, 99, 105, 106, 111, 113 to 117 (both inclusive), 119, 123 and 124.
1st April, 1977	Section 5, section 14, in so far as it relates to the insertion of new section 69D in the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 15.

[No. 1069/F.No. 2/14/75-IC]

S. R. MEHTA, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1975

का० आ० 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 41) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

सारणी

तारीख	अधिनियम के उपबन्ध
(1)	(2)
1 अक्तूबर, 1975	धारा 3 का खण्ड (i), धारा 29 से 37 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), 50, 52 से 56 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), और 59, धारा 61 का खण्ड (IV), धारा 64, 68, 70 से 74 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), 77, 78, 81 और 84 से 87 तक (जिसमें वह दोनों सम्मिलित हैं), धारा 92, जहां तक इसका सम्बन्ध धन-कर अधिनियम, 1957

(1)	(2)
	(1957 का 27) में नई धारा 18ख के अंत:स्थापन से है और धारा 94, 97, 98, 100 से 104 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं) 107 से 110 तक (जिसमें वह दोनों सम्मिलित हैं), 112, 118, 120 से 122 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं) और 124.
1 जनवरी, 1976	धारा 45, 47, 57, 66 और 90 धारा 91 का खण्ड (V) और धारा 93.
1 अप्रैल, 1976	धारा 2, धारा 3 का खण्ड (II), धारा 4 और 6 से 13 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), धारा 14, जहां तक इसका सम्बन्ध आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में नई धारा 69ग के अन्त:स्थापन से है, धारा 16 से 28 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), 38 से 44 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), 46, 48, 49, 51, 48, और 60, धारा 61 के खण्ड (I) से (III) तक, धारा 62, 63, 65, 67, 69, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 88 और 89, धारा 91 के खण्ड (I) से (IV) तक, धारा 92, जहां तक इसका सम्बन्ध धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) में नई धारा 18क के अन्त:स्थापन से है और धारा 95, 96, 99, 105, 106, 111, 113 से 117 (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं), 119, 123 और 125 ।
1 अप्रैल, 1977	धारा 5, धारा 14, जहां तक इसका सम्बन्ध आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में नई धारा 69घ के अन्त:स्थापन से है और धारा 15 ।

[सं० 1069/फा० सं० 2/14/75-आई० सी०]

एस० आर० मेहता, अपर सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975